राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक नं0–4, शिक्षा संकुल, जयपुर–302015
Email- cao.cce@rajasthan.gov.in Ph – 0141-2703897

क्रमांक : एफ 24(72) लेखा–ए–अनुदान/आकाशि/2018/.............. दिनांक ....

प्राचार्य

समस्त राजकीय महाविद्यालय

....

विषय :– दोहरा कार्य भत्ता के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश

उपर्युक्त विषयान्तर्गत यह देखा गया है कि विभाग में उपाचार्यो/सहायक आचार्यों को प्राचार्य के पद का कार्य करने के एवज में दोहरा कार्य भत्ता स्वीकृत किये जाने बाबत प्रकरण प्राप्त होते है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 में दोहरा कार्य भत्ता के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान दिये हुये है। अतः दोहरा कार्य भत्ता के सम्बन्ध में नियम निम्नानुसार सुलभ संदर्भ हेतु स्पष्ट किये जाते है :–

01. अंर्हताऐ जो दोहरा कार्यभत्ता स्वीकृत किया जाने से पूर्व पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
    (क) नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा दोहरा कार्य आवंटित होने का आदेश।
    (ख) कार्मिक के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का आदेश।
    (ग) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन तथा जिसमें पद रिक्त होने की तिथि का उल्लेख हो।
    (घ) ग्रीष्मकाल में मुख्यालय पर रहकर कार्य करने की स्थिति में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 92 बी का लाभ न लेने का आवेदन में उल्लेख हो।
02 दोहरा कार्य भत्ता राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 व 50 के अन्तर्गत नियमानुसार देय होगा ।
03 दोहरा कार्य भत्ता पद रिक्त होने की दिनांक से अधिकतम 6 माह तक के लिए देय होगा। दोहरा भत्ता हेतु पद का रिक्त होना पूर्ण कालिक पदस्थापन के रिक्त होने की तिथि से माना जावेगा।
04 एक ही पद के रिक्त रहने पर एकाधिक बार पृथक–पृथक राज्य सेवकों को रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार सौपने पर भी उस रिक्त पद के विरूद्व पद की रिक्ति दिनांक से 6 माह के बाद दोहरा कार्य भत्ता/विशेष वेतन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
05 नवसृजित पद की स्थिति में दोहरा भत्ता तब तक देय नहीं हो जाता है जब तक कि पहली बार पूर्ण कालिक आधार पर नहीं भरा जावे।

अतः उपरोक्तानुसार देयता होने पर ही प्रकरण आवश्यक स्वीकृति हेतु आयुक्तालय को प्रेषित किया जावें।

–sd–
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर

क्रमांक : एफ 24(72) लेखा–एअनुदान/आकाशि/2018/735-737 दिनांक 10/3/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
02. संयुक्त निदेशक (आर.वी.आर.ई.एस.), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
03. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर